भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, अनुभाग 1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/21/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय

****

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
दिनांक: 18 जून, 2026

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

सेतु मामला आईडी: एडी/ओआई/022/2026

विषय : चीन जनवादी गणराज्य तथा जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनॉल के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 6/21/2026-डीजीटीआर-** अतुल लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार नामित प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन में रेसोरसिनॉल (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तुओं " कहा गया है) के उन आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच प्रारंभ किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिनका उद्गम चीन जनवादी गणराज्य तथा जापान में है अथवा जिनका निर्यात इन देशों से किया जाता है (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है)।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो

रही है। अतः आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद रेसोरसिनॉल है।

4. विचाराधीन उत्पाद को 1,3-बेंजीनडायोल, 1,3-डाइहाइड्रॉक्सीबेंजीन तथा मेटा-डाइहाइड्रॉक्सीबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्पाद का रासायनिक सूत्र $C_6H_6O_2$ है तथा इसका सीएएस (CAS) संख्या 108-46-3 है। यह उत्पाद सामान्यतः सफेद से हल्के सफेद रंग के फ्लेक्स के रूप में आपूर्ति किया जाता है तथा जल में विलेय है।

5. विचाराधीन उत्पाद का मुख्य रूप से उपयोग टायर एवं रबर उत्पादों के निर्माण तथा रेज़िन बॉन्डिंग अनुप्रयोगों में एक मध्यवर्ती रसायन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग विशेष प्रकार के लकड़ी-आधारित आसंजक रेज़िन, यूवी स्थिरीकारकों, रंजको, औषधियों, प्रसाधन सामग्री तथा अग्निरोधी अनुप्रयोगों के निर्माण में भी किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद का निर्माण निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है:

    क. सल्फोनेशन-फ्यूज़न प्रक्रिया
    ख. हाइड्रोपेरॉक्सीडेशन प्रक्रिया तथा
    ग. एमपीडीए हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया

7. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ तुलनीय विशेषताओं से युक्त हैं, समान तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करती हैं तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण सल्फोनेशन-फ्यूज़न प्रक्रिया के माध्यम से करता है।

8. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन (MT) मानी गई है।

9. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत एचएस (HS) कोड 2907 21 00 में किया जाता है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच के प्रारंभ की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद (PUC) के कार्यक्षेत्र के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं तथा, यदि कोई हों, तो उनके समर्थन में उचित औचित्य सहित उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCNs) प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

11. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

12. यह आवेदन अतुल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वह भारत में समरूप वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसने जांच अवधि (POI) के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदक की चीन जनवादी गणराज्य में एक संबद्ध इकाई, अर्थात् अतुल चाइना, है। तथापि, आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उक्त संबद्ध इकाई ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उसका भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

13. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया मानता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है तथा आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

14.वर्तमान पाटन-रोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य एवं जापान हैं।

ङ. जांच की अवधि

15.वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (POI) 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा वर्तमान जांच अवधि (POI) शामिल हैं।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन के लिए सामान्य मूल्य

16.आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक ऐसे उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के अनुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

17.वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है और किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड में सूचना के अभाव में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. जापान के लिए सामान्य मूल्य

18.आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि जापान में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमतों और वास्तविक उत्पादन लागत के संबंध में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, आवेदक जापान में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर अथवा जापान से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सका।

19. वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, जापान में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमतों अथवा उत्पादन लागत के संबंध में विश्वसनीय सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर जापान के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

iii. <u>निर्यात मूल्य</u>

20. आवेदक ने अभिलेख पर उपलब्ध आयात सूचना के आधार पर निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, निर्यात मूल्य के निर्धारण हेतु डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों पर विचार किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, ऋण लागत, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा के संबंध में, जहां दावा किया गया और आवश्यक समझा गया, उपयुक्त समायोजन किए गए हैं, ताकि एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य प्राप्त किया जा सके।

21. इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य को वर्तमान जांच के प्रारंभ के उद्देश्य से उपयुक्त माना गया है।

iv. <u>पाटन मार्जिन</u>

22. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह इंगित होता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक तथा महत्वपूर्ण है। तदनुसार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य</u>

23. आवेदक ने संबद्ध देशों से आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा, कीमत कटौती, मूल्य दमन और कीमतों में गिरावट के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो कथित रूप से संबद्ध आयातों के कारण उत्पन्न हुए हैं। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई

है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना प्रथम दृष्टया यह इंगित करती है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से कथित पाटित आयातों के कारण महत्वपूर्ण क्षति हुई है। आवेदक ने कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के अस्तित्व का भी दावा किया है।

ज. जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत पुष्ट आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर यह संतुष्ट होते हुए कि संबद्ध देशों से उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन विद्यमान है, घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तथा कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है, और अधिनियम की धारा 9A तथा नियमावली के नियम 5 के अनुरूप, प्राधिकरण द्वारा एतद् द्वारा एक पाटन-रोधी जांच प्रारंभ की जाती है, जिसका उद्देश्य संबद्ध देशों से उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के अस्तित्व, स्तर तथा प्रभाव का निर्धारण करना तथा पाटन-रोधी शुल्क की उपयुक्त मात्रा की सिफारिश करना है, जो लगाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

झ. प्रक्रिया

25. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

26. इस जांच से संबंधित समस्त सूचना, प्रश्नावली तथा प्रस्तुतियाँ केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही, इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएँगी। प्राधिकरण ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर सकता है।

27. इस जांच में भाग लेने हेतु सभी हितबद्ध पक्षकार को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setudgtr.gov.in) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को पंजीकरण में कोई कठिनाई होती है, तो वह डीजीटीआर सेतु हेल्पडेस्क से https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर उपलब्ध विवरण के माध्यम से संपर्क कर सकता है। सभी संचार एवं प्रस्तुतियाँ हितबद्ध पक्षकार द्वारा उनके पंजीकृत नाम तथा उपर्युक्त

उल्लिखित संबंधित केस आईडी के अंतर्गत केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही दाखिल की जाएँगी। हितबद्ध पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुतियों का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ अथवा एमएस वर्ड प्रारूप में दाखिल किया जाए, जबकि आंकड़ों से संबंधित फाइलें उचित रूप से लिंक की गई गणनाओं सहित एमएस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएँ।

28. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देशों की सरकारों के दूतावासों तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर निर्धारित प्रपत्र और रीति में सभी प्रासंगिक सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित प्रपत्र और रीति में दाखिल की जाएगी।

29. इस जांच में रुचि रखने वाले सभी पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपनी रुचि (जिसमें रुचि की प्रकृति भी शामिल है) की सूचना दें तथा इस प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया एवं अन्य प्रस्तुतियाँ दाखिल करें।

30. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस जांच से संबंधित प्रासंगिक प्रस्तुतियाँ इस अधिसूचना में निर्धारित प्रारूप एवं पद्धति के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर सकता है। यदि कोई पक्ष प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करता है, तो उसे साथ-साथ उसी का एक अगोपनीय संस्करण भी दाखिल करना आवश्यक होगा। अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए।

31. हितबद्ध पक्षकार को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) का अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है कि वे समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों जैसे कि प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई हेतु नोटिस, प्रकटीकरण, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएँ,

अंतिम निष्कर्ष तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के संबंध में अद्यतन रहने हेतु नियमित रूप से DGTR की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

32. गोपनीय संस्करण तथा अगोपनीय संस्करण को सेतु पोर्टल के संबंधित निर्धारित अनुभागों में उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना आवश्यक है, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकरण द्वारा प्रसारित किया जाएगा अथवा नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकरण नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

33. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने की इच्छा रखने वाले किसी भी पक्ष को सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा तथा इस प्रारंभिक अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएँ एवं प्रस्तुतियाँ कठोर रूप से दाखिल करनी होंगी।

34. विचाराधीन उत्पाद (PUC) के कार्यक्षेत्र तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) कार्यप्रणाली पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 15 दिन की अवधि, इस प्रारंभिक अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. विचाराधीन उत्पाद (PUC) / उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकरण किसी पश्चात् अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद (PUC) तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) में ऐसा संशोधन करता है जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो प्रारंभिक अधिसूचना से भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों की अवधि संशोधित विचाराधीन उत्पाद (PUC) की अधिसूचना तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) के निर्धारण की तिथि से प्रारंभ होगी। इस अनुच्छेद में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ जांच प्रारंभ होने के पश्चात विचाराधीन उत्पाद (PUC) की अधिसूचना तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (PCN) कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के इस संभावित विस्तार के अतिरिक्त किसी और समय-विस्तार के अनुरोधों पर

सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, तथा यह पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुरूप होगा।

36. किसी भी समय-विस्तार के अनुरोध को संबंधित पक्षों द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से मूल निर्धारित समय-सीमा से कम से कम 3 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस समय-सीमा के पश्चात प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

37. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी पक्ष यदि गोपनीय आधार पर कोई प्रस्तुति करता है या सूचना प्रदान करता है, तो उसे पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार अधिसूचनाओं के अनुसार, उसी सूचना का एक अगोपनीय संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उपर्युक्त का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

38. प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों, जैसे प्रस्तुतियां, प्रश्नावली उत्तर अथवा अनुलग्नक, के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा:

    क. सेतु पोर्टल के निर्धारित अनुभाग में दो संस्करण अपलोड किए जाएंगे–एक गोपनीय के रूप में चिह्नित और दूसरा अगोपनीय के रूप में चिह्नित।

    ख. यदि प्रस्तुति में अनेक भाग हों, तो सभी भागों और अनुलग्नकों की सूची सहित एक सूची-पत्र संलग्न किया जाएगा।

    ग. प्रस्तुति के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाएगी।

39. जहाँ मूल दस्तावेज़ अंग्रेज़ी अथवा हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हो, वहाँ हितबद्ध पक्षकार द्वारा मूल दस्तावेज़ के साथ-साथ उसका अंग्रेज़ी अथवा हिंदी में सही एवं प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

40. गोपनीय अथवा अगोपनीय प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से गोपनीय अथवा अगोपनीय अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे किसी भी प्रस्तुतीकरण पर, जिस पर उक्त प्रकार का अंकन नहीं होगा, प्राधिकरण द्वारा उसे अगोपनीय माना जाएगा

तथा प्राधिकरण अन्य हितबद्ध पक्षकार को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

41. गोपनीय संस्करण में वह समस्त सूचना शामिल की जाएगी जो स्वभावतः गोपनीय है, अथवा ऐसी कोई भी सूचना जिसे आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में चिह्नित करना चाहता है। किसी भी ऐसी सूचना के संबंध में, जिसके लिए गोपनीयता का दावा किया गया है– चाहे वह उसकी प्रकृति के कारण हो या अन्य कारणों से आपूर्तिकर्ता को एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। इस विवरण में यह स्पष्ट किया जाएगा कि संबंधित सूचना का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है।

42. अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की यथावत प्रतिलिपि होगा, किंतु उसमें समस्त गोपनीय सूचना हटा दी जाएगी / रिक्त कर दी जाएगी।

    क. हां संभव हो, गोपनीय विवरणों को अनुक्रमित किया जाएगा।
    ख. यदि अनुक्रमण संभव न हो, तो गोपनीय अंशों को रिक्त कर दिया जाएगा।
    ग. जिन मामलों में गोपनीयता का दावा किया गया है, वहां सूचना का इस प्रकार सारांश प्रस्तुत किया जाएगा कि अगोपनीय संस्करण में संवेदनशील विवरणों का प्रकटीकरण किए बिना भी उसका सार समझ में आ सके।

43. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए, जिससे पाटन-रोधी जांच में प्रस्तुत गोपनीय सूचना की विषय-वस्तु को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। यह सारांश अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को संवेदनशील विवरणों की सुरक्षा बनाए रखते हुए सूचना के सार को समझने हेतु पर्याप्त स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, जहां गोपनीयता से समझौता किए बिना सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव न हो, वहां प्रस्तुतकर्ता पक्ष यह इंगित कर सकता है कि उक्त सूचना सारांश योग्य नहीं है। ऐसे मामलों में, पक्ष को कारण सहित विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समझाया गया हो कि सारांश क्यों संभव नहीं है। यह विवरण पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुरूप तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार होना चाहिए।

44. हितबद्ध पक्षकार को अन्य पक्षों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों पर अपनी टिप्पणियाँ, उन दस्तावेज़ों के अगोपनीय संस्करण के प्रसारित किए जाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

45. प्राधिकरण को यह विवेकाधिकार होगा कि वह पाटन-रोधी जांच में प्रस्तुत सूचना की प्रकृति का परीक्षण करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सके। यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि गोपनीयता का दावा उचित रूप से स्थापित नहीं है, अथवा यदि सूचना प्रदान करने वाला पक्ष उसे सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत/सारांशित रूप में प्रकट करने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो प्राधिकरण ऐसी सूचना को पूर्णतः अस्वीकार कर सकता है।

46. पाटन-रोधी जांच में की गई किसी भी प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत की गई सूचना का एक सार्थक अगोपनीय संस्करण संलग्न होना आवश्यक है। यदि ऐसा संस्करण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अथवा यदि पक्ष पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी प्रासंगिक व्यापार अधिसूचनाओं के अनुसार गोपनीयता दावे को उचित ठहराने हेतु वैध कारण सहित विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण ऐसी प्रस्तुति को अभिलेख पर नहीं लेगा।

47. जहाँ प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, वहाँ वह ऐसी सूचना को, सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना, किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं करेगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

48. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. <u>असहयोग</u>

49. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार करता है अथवा उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है

और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

Amitabh Kumar

Digitally signed by Amitabh Kumar
Date: 2026.06.18 18:05:17 +05'30'

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी